



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35819

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2390 वर्ष 2026

धनपाल सिंह यादव

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: गणेश मणि, राघवेन्द्र प्रताप सिंह
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. याची का अभ्यावेदन यह है कि याची उप निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ, तथापि सेवानिवृत्ति के उपरांत याची की ग्रेच्युटी से रुपये 3,29,943/- की राशि काट ली गई। याची के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उक्त कटौती एकपक्षीय रूप से, याची को बिना किसी सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए, की गई है तथा याची के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही भी लंबित नहीं है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि याची के अभ्यावेदन पर सर्वप्रथम प्रत्यर्थी संख्या 4, पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है।
4. बार में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याची दिनांक **27.02.2026** तक एक सम्यक अभ्यावेदन, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 4, पुलिस अधीक्षक, बिजनौर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 4 याची के अभ्यावेदन पर विधि के अनुसार विचार करते हुए, दो माह की अवधि के भीतर निर्णय पारित करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

दिनांक : 18 फरवरी 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”